रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022020-216043
CG-DL-E-10022020-216043

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2020/माघ 18, 1941
No. 37] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2020/MAGHA 18, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2020

मामला सं. एसएसआर-02/2020

विषय:चीन जन. गण. से फ्लूरोइलास्टोमर (एफकेएम) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

फा. सं. 7/3/2020-डीजीटीआर.—1. यत:मैसर्स गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स लिमि. (जिसे यहां "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसरण में चीन जन. गण. (जिन्हें यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'फ्लूरोइलास्टोमर(एफकेएम)' (जिसे यहां "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है ।

पृष्ठभूमि

3. चीन जन.गण.से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 2 जनवरी 2018 की अधिसूचना सं. 6/25/2017-डीजीएडी के तहत शुरु की गई थी । प्राधिकारी ने दिनांक 27 दिसम्बर 2018 की अधिसूचना सं. 6/25/2017/ डीजीएडी के तहत अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचित किए जिसमें संबद्ध देश से 'फ्लूरोइलास्टर (एफकेएम)' के आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी । संबद्ध वस्तुओं पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क दिनांक 28 जनवरी 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना स. 6/2019- सीमाशुल्क के तहत लगाया गया था । 27 जुलाई, 2020 तक ड्यूटी मान्य है ।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद 'फ्लूरोइलास्टोमर (एफकेएम)' है । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच के अनुसार उत्पाद को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) 'फ्लूरोइलास्टोमर(एफकेएम)' है । 'फ्लूरोइलास्टर (एफकेएम)' सिंथेटिक रबड़ की एक श्रेणी है, जो बहुत ही उच्च तापमान के लिए डिजाइन किया गया है । इसके उत्कृष्ट समग्र गुणों के साथ ही 'फ्लूरोइलास्टोमर(एफकेएम)' को रबड़ किंग के नाम से जाना जाता है । इसमें पूर्णतया फ्लोरिनेटेड मालिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है और उसकी मुख्य और साइड चेन में फ्लोरीन एटम की सशक्त इलैक्ट्रोनेगेटिविटी होती है । फ्लूरोइलास्टोमर (एफकेएम)' फ्लूरोपोलिमर रबड़ फेमिली है न कि एक सिंगल अस्तित्व है । इसे इसके फलूरीन कंटेंट से वर्गीकृत किया जा सकता है जो क्रमश: 66%, 68% और 70% होता है । एफकेएम को व्यापक तौर पर दो सेट में बांटा जा सकता है- कोपोलिमर और टेरपालिमर। फ्लूरोइलास्टोमर (एफकेएम)' के विभिन्न अनुप्रयोग हैं जैसे हाइड्रोलिक ओ- रिंग सील, चैक वाल बाल, इलैक्ट्रिकल कनेक्टर के औद्योगिक उपयोग और शाफ्ट सील, फ्यूल इंजेक्टर ओ- रिंग में आटोमोटिव उपयोग और फ्यूल, लुब्रिकेंट और हाइड्रोलिक प्रणाली , मेनिफोल्ड गास्केट, और फ्यूल टैंक ब्लेडर में उपयोग ।"

5. विचाराधीन उत्पाद अर्थात फ्लूरोइलास्टोमर में कोपोलिमर और टेरपोलिमर, दोनों कच्चे गोंद और कंपाउंड के रुप में शामिल है और इसके विभिन्न प्रकार हैं । कंपाउंड और एफएफकेएम को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया गया है ।

6. उत्पाद में समर्पित वर्गीकरण नहीं होता । विचाराधीन उत्पाद को अधिनियम के सीमा शुल्क उप शीर्ष 3904 के तहत अध्याय 39 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है । तथापि यह कहा जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रुप में उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो भारत में पाटित की जा रही हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं । पाटित वस्तुओं और आवेदक द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशन, गुणवत्ता, कार्य, अन्तिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है । तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से ये दोनों प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए इन्हें नियमों के अनुसार "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अत:

आवेदक द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

8. आवेदन मैसर्स गुजरात फ्लूरोकेमिकल्स लिमि. द्वारा दायर किया गया है । आवेदक भारत में एफकेएम का एकमात्र उत्पादक है । आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक से अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं । प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधानों के तहत पात्र घरेलु उद्योग है और आवेदक उक्त नियमावली के नियम 5(3) में अंतर्निहित प्रावधानों के तहत आधार के मापदंड को पूरा करता है।

पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना का आधार

9. आवेदक ने नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार चीन पीआर के उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। इसके अनुसार, उन्होंने यूएसए और चीन के बीच एक उचित बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में दावा करते हुए कहा है कि यूएसए और चीन के बीच उत्पाद विकास के स्तर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए, आवेदक ने चीन से सामान्य मूल्य के निर्माण के विकल्प के रूप में यूएसए से आयात मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि यह उचित होगा भले ही यूएसए से रॉ गम का आयात मूल्य अधिक हो, जो यूएसए से पूर्व-कंपाउंड का आयात मूल्य है। सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की जाँच शुरू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर करें।

10. तथापि, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के प्रयोजन से उत्पादन की लागत को उपयुक्त रुप से समायोजित करके और बिक्री, सामान्य व प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभों को जोड़कर संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

11. आवेदक ने डीजीसीआई एंड एस के सौदा वार आयात डाटा के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है । समुद्री मालभाड़ा, स्वदेशी माल भाड़ा व्यय, बंदरगाह व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, समुद्री बीमा, और वेट में भिन्नता के संबंध में कीमत समायोजन की अनुमति दी गई है ।

12. सामान्य मूल्य, और निर्यात कीमत अनुमानों के आधार पर संबद्ध देश के लिए, पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है । परिणामी पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है और नगण्य से काफी अधिक है । प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निबल निर्यात मूल्य से अधिक है जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर निर्यात की जा रही है और इस प्रकार पाटन के जारी रहने का पता चलता है तथा जांच शुरु करना औचित्यपूर्ण है ।

क्षति और कारणात्मक संबंध के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना

13. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलु उद्योग को मात्रात्मक प्रभाव की दृष्टि से अर्थात उत्पादन में गिरावट, बिक्री और क्षमता के उपयोग तथा कीमत प्रभाव के संबंध में कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास के चलते नुकसान,लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल और नकदी हानि को देखते हुए पाटन और उसके परिणामस्वरुप क्षति होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं । इसके अलावा याचिकाकर्ता द्वारा अप्रयोज्य क्षमता, क्षमता विस्तार, विकास में रुकावट, और संबद्ध देश में उत्पादकों/ निर्यातकों के तृतीय देश पाटन मार्जिन के संबंध में प्रदान किए गए डाटा से भी पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति पर प्रथम दृष्टया पाटन और परिणामस्वरुप क्षति होने की संभावना का पता चलता है ।

पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

14. आवेदकों के विधिवत पूर्ण आवेदन पत्र के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर पाटन और क्षति जारी रहने/ बार-बार होने की संभावना सिद्ध करने पर और नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार स्वयं को संतुष्ट करने पर प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्कों को लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि इस शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

संबद्ध देश

15. चूंकि यह जांच निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए संबद्ध देश का दायरा मूल जांच में संबद्ध देश तक अर्थात चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं तक ही सीमित है ।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

16. वर्तमान जांच में जांच की अवधि जनवरी 2019 से सितम्बर 2019 (9 माह) तक की है और क्षति अवधि में अप्रैल 2016- मार्च 17, अप्रैल 2017-मार्च 18, अप्रैल 2018- मार्च 19 और जांच की अवधि शामिल होगी ।

प्रक्रिया

17. समीक्षा में दिनांक 27 दिसंबर 2018 की अधिसूचना सं.6/25/2017/डीजीएडी के तहत प्रकाशित अन्तिम जांच परिणामों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है जिसमें कि चीन जन.गण. से 'फ्लूरोइलास्टोमर (एफकेएम)' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है । प्राधिकारी पाटन और क्षति की संभावना का विश्लेषण भी आवश्यकतानुसार करेंगे ।

18. उपरोक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. 17, 8, 19 और 20 के प्रावधानों को इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू किया जाएगा ।

सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित पते पर प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र और तरीके में जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध करायें।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध करायें।

समय-सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:

i. गोपनीय के रूप में चिन्हित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि), और

ii. अगोपनीय के रूप में चिन्हित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।

25. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप मे स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रुपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के चार (4) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।

26. गोपनीय रुपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

27. अगोपनीय रुपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।

28. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।

29. किसी सार्थक अगोपनीय रुपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

30. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

31. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को जैसा भी वे उचित समझें सिफारिश कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2020

Case No. SSR 02/2020

Sub : Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of Fluoroelastomers (FKM) from China PR.

F. No. 7/3/2020-DGTR.—1. Whereas M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd (hereinafter referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the " Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), for Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of "Fluoroelastomers (FKM)" (hereinafter referred as the "subject goods" or "product under consideration"), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country")

2. The Applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from China PR was initiated by the Authority vide Notification No. No. 6/25/2017-DGAD dated 2nd January 2018. The Authority notified final findings vide Notification No 6/25/2017/DGAD dated 27th December 2018 recommending definitive antidumping duty on imports of Fluoroelastomers (FKM) from the subject country. The definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 6/2019-Customs (ADD) dated 28th January 2019. The duty is valid till 27th July 2020.

Product under consideration

4. The product under consideration as in the original investigation is Fluoroelastomers (FKM). As per the original investigation carried out by the Designated Authority the product has been defined as under:

"The product under consideration (PUC) in the present investigation is Fluoroelastomers (FKM). Fluoroelastomers (FKM) is a class of synthetic rubber designed for very high temperature operation. With excellent over-all properties, Fluoroelastomers (FKM) is called as the "Rubber King. It contains not-fully-fluorinated molecular structure, and its main and side chains contain strong electronegativity of fluorine atoms. "Fluoroelastomers" are a family of fluoropolymer rubbers, not a single entity. It can be classified by their fluorine content, 66%, 68%, & 70% respectively. FKMs are broadly categorized in two sets - Copolymer and Terpolymer. There are various applications of Fluoroelastomers (FKM) such as industrial use in hydraulic O-ring seals, check valve balls, electrical connectors, automotive use in shaft seals, fuel

injector O-rings, and aerospace use in O-ring seals in fuels, lubricants & hydraulic system, manifold gaskets and fuel tank bladders."

5. PUC i.e. Fluoroelastomers includes Copolymer and Terpolymer both in raw gum and pre-compound form and of different types. Compounds and FFKM are excluded from the scope of PUC.

6. The product does not have dedicated classification. The product under consideration is classified under Chapter 39 under customs subheading no 3904 of the Act. It is, however, submitted that the customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.

Like Article

7. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the product under consideration manufactured by the Applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic industry

8. The application has been filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. The Applicant has claimed to be the sole producer of the product under consideration in India. The Applicant has claimed that it is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of Rule 2 (b) and Rule 5(3) of the Rules.

Basis of likelihood of continuation or recurrence of dumping

9. The Applicant has claimed normal value for producers/exporters of China PR as per para 7 and 8 of Annexure 1 of Rules. In accordance with this, they have claimed USA as an appropriate Market Economy third country stating that there is no difference in the level of product development between USA and China for the goods under consideration. The Applicant has, therefore, claimed import price from USA as an option to construct the Normal Value for China. The applicant has claimed that this will be appropriate even though import price of Raw Gum from USA is higher that the import price of pre-compound from USA. All interested parties are advised to offer their comments on this issue within 30 days from the date of initiation of the investigation.

10. The Authority, for the purpose of initiation, has determined the normal value for the subject country on the basis of cost of production, duly adjusted and after adding selling, general & administrative expense with reasonable profit.

11. The Applicant has claimed export prices as per Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight expenses, port expenses, bank charges, commission, marine insurance and VAT refund.

12. Considering the estimates of normal value and export price, dumping margin has been determined for the subject country. The resultant dumping margin is significant and much above de-minimus limit. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods is significantly higher than the net export prices, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being exported at dumped prices, thus indicating likelihood of continued dumping so as to justify initiation of investigation.

Likelihood of continuation or recurrence of Injury and causal link

13. The Authority notes that there is prima facie evidence of dumping and consequential injury to the domestic industry on account of volume effect i.e. decline in production, sales and capacity utilization and price effect due to price under selling and price suppression leading to losses, negative Return on Capital Employed and cash losses. Further, the data provided by the Applicant on the unutilized capacity, capacity expansions, stagnated growth and third country dumping margin of producers/exporters in the subject country also prima facie indicates a likelihood of dumping and consequential injury on cessation of the AD duty.

Initiation of Sunset Review Investigation

14. On the basis of the duly substantiated application of the Applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (1B) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need

for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Subject Country

15. The investigation being a sunset review, the scope of the subject country is confined to the subject country in the original investigation i.e. against the subject goods originating in or exported from China PR.

Period of Investigation (POI)

16. The period of investigation (POI) for the present investigation is January 2019 to September 2019 (9 Months) and the injury period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI.

Procedure

17. The review will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 6/25/2017/DGAD dated 27th December, 2018, recommending imposition of anti-dumping duty on imports of "Fluoroelastomers" (FKM) from China PR. The Authority would also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

18. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

19. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority

Directorate General of Trade Remedies

Department of Commerce

Ministry of Commerce and Industry

4th Floor, Jeevan Tara Building 5, Parliament Street, New Delhi – 110001

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of Information on Confidential Basis

24. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

i. One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

ii. The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

25. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each

26. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority

28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

30. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

31. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

Non-Cooperation

32. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.10 19:29:56 +05'30'